कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/एबी/3586/नो बैग डे/2020–21/6 दिनांकः– 2/11/2020

जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)
प्रारंम्भिक शिक्षा, (समस्त)

विषयः– राज्य में प्रत्येक शनिवार को विद्यालयों को नो बैग डे (बस्ता मुक्त दिवस) की कियान्विति के संबंध में।

प्रसंगः– राज्य सरकार के पत्र कमांक पं. 17(1)शिक्षा–1/नो बैग डे/2020 जयपुर दिनांक 16.10.2020 के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एंव प्रासंगिक पत्र के कम में लेख है कि मा. मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल के दूसरे बजट पेश करते हुए सभी सरकारी स्कूलों में शनिवार को नौ बैग डे धोषित किया ताकि स्कूलों मे पढने वाले छात्र–छात्राओं को पढाई का बोझ कुछ हद तक कम किया जा सके। कोरोना काल के कारण विद्यालय तो खोले गए है किन्तु राज्य सरकार के आदेशों की पालना में छात्र–छात्रा विद्यालय नहीं आएंगे। कोरोना काल की समाप्ति पश्चात् या जब भी सरकार द्वारा विद्यार्थियों की उपस्थिति हेतु दिशा–निर्देश जारी किये जाएंगे तब प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे की योजना को अमल में लाया जाएगा।

नो बैग डे शनिवार को संस्था प्रधान एंव स्टॉफ का ये कार्य रहेगा कि विद्यालय समय में विद्यार्थियों को विभिन्न सहशैक्षिक गतिविधियों में व्यस्त रख all round development (सर्वागीण विकास) करने का दायित्व होगा। ऐसे में करवाई जाने वाली गतिविधियां निम्न प्रकार से हो सकती है।

1. पूरे विद्यालय को विभिन्न सदनों में बांटकर सदन वार प्रतियोगिता करवाना।
2. देशभक्ति गीत, संगीत क्वीज निबन्ध प्रतियोगिता, आशुभाषण, काव्य पाठन नृत्य गायन इत्यादि कार्य करवाना।
3. खेलकूद को बढावा देने हेतु खो–खो, चैस, बैंडमिंडन, वॉलीबाल,बास्केटबॉल, कब्बड़ी इत्यादि भी प्रतियोगिता करवायी जा सकती है।
4. स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है इस हेतु योगाभ्यास करवाया जा सकता हैं।
5. कक्षा मे कक्षाध्यापकों/विषयाध्यापकों द्वारा मौखिक गतिविधियां जैसे कविताएं, कहानियां, स्पेलिंग पूछना, पहेलियां करवाई जा सकती है।
6. नो बैग डे के दिन बच्चों से श्रमदान करवाया जा सकता है जिससे उनमें मेंहनत या काम करने की भावना जागृत हो।
7. वृद्वाश्रमों में सेवा के कार्य भी करवाये जा सकते है।
8. स्वंतत्रता सेनानी, सुधारक एंव महान वैज्ञानिकों पर फिल्म दिखाकर प्रेरित किया जा सकता है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

अतिरिक्त निदेशक (शैक्षिक)
प्रारंम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. संयुक्त शासन सचिव, राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग,शासन सचिवालय,जयपुर ।
2. निजी सचिव निदेशक महोदय कार्यालय हाजा को सूचनार्थ।

www.rajteachers.com

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
प्रारंम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

AB 20/10/2020 Ⓡ शैक्षिक 19/10/2020 (5)

150

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प. 17(1)शिक्षा–1 / No Bag Day / 2020 जयपुर, दिनांक : 16.10.2020

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

विषय :– राज्य में प्रत्येक शनिवार को विद्यालयों को "No Bag Day (बस्ता मुक्त दिवस)" की क्रियान्विति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2020–21 के बिन्दु संख्या 97 "समस्त सरकारी विद्यालयों में शनिवार के दिन 'No Bag Day' रहेगा और उस दिन कोई अध्यापन कार्य नहीं होगा। इस दिन अभिभावक–अध्यापक (Parent-Teacher) मीटिंग के अतिरिक्त साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां, हैप्पीनेस थेरेपी, खेलकूद, व्यक्तित्व विकास, स्काऊट, जीवनमूल्य एवं नैतिक शिक्षा, बालसभायें तथा भाषा एवं कौशल विकास एवं निरोगी राजस्थान के सूत्रों से संबंधित क्रियायें संपादित करवायी जायेंगी, जिनमें अध्यापकों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जायेगा" के संबंध में गठित राज्य स्तरीय समिति से प्राप्त प्रतिवेदन एवं गतिविधियों की निर्देश पुस्तिका का विभिन्न स्तरो पर प्रस्तुतिकरण किये जाने उपरान्त "नो बैग डे" की क्रियान्विति के लिए तैयार किए गये उद्देश्य परक अवधारणों पर आधारित ब्रॉशर का दिनांक 15.10.2020 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विमोचन कर शुभारम्भ कर दिया गया है।

अतः ब्रॉशर एवं गतिविधियों की निर्देशिका संलग्न कर लेख है कि राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में शनिवार को "नो बैग डे" की क्रियान्विति निर्देशानुसार किया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

www.rajteachers.com

16.10.20

(राजेश वर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
3. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि "नो बैग डे" की क्रियान्विति के संबंध में आवश्यकता अनुसार विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाकर बजट घोषणा की उद्देश्य परक क्रियान्विति करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
4. निदेशक, आरएससीईआरटी, उदयपुर।
5. निदेशक, सीमेट, गोनेर, जयपुर।
6. पीरामल / बी.सी.जी फाउण्डेशन।
7. रक्षित पत्रावली।

16.10.2020

(डॉ. रणवीर सिंह)
विशेषाधिकारी–शिक्षा

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा
राजस्थान–बीकानेर
20 OCT 2020
प्रा शि/निजी रास / 1743

कमरा नं. 1209, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान
E-mail - ds1edu@rajasthan.gov.in Phone - 0141-2227302